Judl/Govt
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2016/00255

1. रतन लाल आयु बालिग आत्मज पेमा जाति मीणा निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान :–
   1/1. रामनिवास बालिग आत्मज स्वर्गीय रतनलाल ।
   1/2. उमाकान्त बालिग आत्मज स्वर्गीय रतनलाल ।
   1/3. गणपती बाई बेवा स्वर्गीय रतनलाल ।
   1/4. ललिता पुत्री स्वर्गीय रतनलाल जातियान मीणा निवासी बरूधंन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. भंवर लाल आयु बालिग आत्मज कान्हा जाति मीणा, निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 34/दावा/2016

1. रतन लाल आयु बालिग आत्मज पेमा जाति मीणा निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. भंवर लाल आयु बालिग आत्मज कान्हा जाति मीणा' निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.01.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भण्डारी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22.1.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00255

1. रतन लाल आयु बालिग आत्मज पेमा जाति मीणा निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान :–
   1/1. रामनिवास बालिग आत्मज स्वर्गीय रतनलाल ।
   1/2. उमाकान्त बालिग आत्मज स्वर्गीय रतनलाल ।
   1/3. गणपती बाई बेवा स्वर्गीय रतनलाल ।
   1/4. ललिता पुत्री स्वर्गीय रतनलाल जातियान मीणा निवासी बरूधंन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल आयु बालिग आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) रतन लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2377/1260 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2637/1246 रकबा 14 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी भंवर लाल के खाते में दर्ज है । वास्तविक रूप से प्रतिवादी न तो इस आराजी का खातेदार है और न ही प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कब्जा है । उक्त भूमि का वास्तविक खातेदार वादी रतन लाल है और रतनलाल का ही इस आराजी पर निरन्तर किसी रूकावट के पिछले 40 वर्षों से प्रतिवादी भंवरलाल की जानकारी में कब्जा काश्त चला आ रहा

है । वादग्रस्त आराजी का जिस समय आवंटन हुआ उस समय वादी व वादी का भाई कान्हा संयुक्त परिवार के सदस्य थे । इसी दौरान भूमि आवंटन की कार्यवाही हुई । कानूनी रूप से वादी के नाम भूमि का आवंटन नहीं हो सकता था इसलिए आपसी सहमति व परिवार में सामंजस्य बना रहे इसी बात को ध्यान में रखते हुए भूमि के आवंटन में नाम प्रतिवादी भंवर लाल का अंकित कराया गया था । आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया व कार्यवाही वादी द्वारा की गई । आवंटन के पश्चात् लगान व पिलाई वादी द्वारा ही अदा किया जा रहा है । आवंटन होने के पश्चात् आज दिन तक भी प्रतिवादी के द्वारा इस आराजी के सम्बन्ध में वादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उक्त भूमि पर वादी का भी कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी उक्त भूमि से वादी को ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते हैं और आये दिन भूमि को भू–माफिया को बेचने के लिए धमकी देते रहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी भंवर लाल का नाम विलोपित किया जावे और उनके स्थान पर वादी का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरण, रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 से व्यथित होकर मृतक वादी रतन लाल के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने वादपत्र में जिन तथ्यों का अंकन किया है उनका निर्णय दोनों पक्षों की शहादत लेकर गुणावगुण पर ही किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो विवाद्यकों का गठन किया है न अपीलान्ट की शहादत के लिए कोई तारीख नियत की है वरन् अपनी मनमर्जी के आधार पर ही वाद का निर्णय कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की शहादत लेने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी भंवर लाल के नाम खाते में दर्ज है रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर न तो कब्जा है और न वे खातेदार हैं । अपीलान्ट का इस आराजी पर 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जिस समय आवंटन की कार्यवाही हुई थी उस समय अपीलान्ट और

अपीलान्ट के भाई कान्हा का संयुक्त परिवार था । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का भतीजा है । आपसी सहमति से आवंटन रेस्पोडेन्ट भंवर लाल के नाम करवाया गया था । आवंटन की समस्त राशि अपीलान्ट ने ही जमा करवायी थी । पिलाई भी अपीलान्ट के द्वारा ही दी जा रही है । लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है । सीपीसी की पालना किये बिना अपीलान्ट का दावा खारिज किया गया है । प्रतिवादी कम 02 की तलबी में पत्रावली लम्बित थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त फरमाया जावे । रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.06.2016 को लोक अदालत में दावा वादी खारिज किया गया । लोक अदालत में वादी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट भंवरलाल दोनों उपस्थित हुए हैं । वादी के द्वारा दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा के लिए किया गया है । वादी अपीलान्ट के द्वारा स्वयं अपने दावे में यह अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन भंवर लाल के नाम से करवाया गया था परन्तु इस आराजी पर कब्जा उनका है । अतः उन्हें खातेदार घोषित किया जावे । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस प्रकार वादी का यह दावा विधिक प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.06.2016 के अनुसार वादी स्वयं उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादी भी उपस्थित हुए हैं और दोनों की मौखिक स्वीकारिक्ति के फलस्वरूप दावा वादी खारिज किया गया है । इस प्रकार उक्त निर्णय सहमति के आधार पर पारित किया गया है जिसकी अपील भी मेन्टेनेबल नहीं होती है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट विधिक रूप से मेन्टेनेबल नहीं होने खारिज होने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा